(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 373–एक/2017 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2017 – पारित व्दारा – कलेक्टर जिला मुरैना – प्रकरण क्रमांक 2/2016–17 पुनरावलोकन

1– भानू प्रकाश श्रीवास्तव 2– रबिप्रकाश श्रीवास्तव
दोनों पुत्रगण ओमप्रकाश श्रीवास्तव
3– सुशोभन उर्फ सूरज पुत्र अशोककुमार श्रीवास्तव
सभी संजय कोलानी मुरैना एंव डा.मोतीलाल वाली
रोड शब्जी मण्डी, मुरैना, मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

विरूद्ध

मंदिर श्री बिहारीजी महाराज पंचायत रजि0
मुरैना व्दारा प्रशासक प्रदीपसिंह तौमर
अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ——अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 01–06–2018 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 2/2016–17 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 16–1–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला त्रिवेणीवाई के नाम की भूमि सर्वे क्रमांक 648 पर बने मकान पर बसीयतनामा दिनांक 19–7–97 के आधार पर नामान्तरण किये जाने की मांग की गई। तहसीलदार मुरैना ने

प्रकरण क्रमांक 8/2001-02 अ-6 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 29-11-2001 पारित किया तथा नामान्तरण प्रकरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 431/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-9-2003 से अपील स्वीकार कर बसीयतग्रहीता का नामान्तरण करने के आदेश दिया।

मंदिर श्री विजारी जी महाराज पंचायत रजि. म0प्र0 की ओर से जगदीश प्रसाद अग्रवाल एड. मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष आवेदन देकर आदेश दिनांक 16-9-2003 के पुनरावलोकन की मांग रखी। अनुविभागीय अधिकारी ने पुनरावलोकन प्र.क्र. 26/2016-17 पॅजीबद्ध किया तथा आडरशीट दिनांक 1-12-16 लिखकर कलेक्टर मुरैना से आदेश दिनांक 16-9-2003 के पुनरावलोकन की अनुमति मांगी। कलेक्टर मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 2/2016-17 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 16-1-17 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि त्रिवेणी वाई की मृत्यु के वाद पंजीकृत बसीयत के आधार पर आवेदकगण ने तहसीलदार से नामान्तरण की मांग की थी। तहसीलदार व्दारा नियमों की अनदेखी करके पंजीकृत बसीयत को दरकिनार करते हुये गलत आधारों पर नामान्तरण आवेदन निरस्त किया था, जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी मुरैना को किये जाने पर पक्षकारों की सुनवाई की गई है तथा पंजीकृत बसीयत प्रमाणित पाये जाने से अनुविभागीय अधिकारी ने अपील स्वीकार करके आवेदकगण के नामान्तरण का निर्णय लिया है। अनुविभागीय अधिकारी के

आदेश के विरूद्ध अनावेदक को अपील का उपचार प्राप्त है परन्तु अपील का उपचार रहते हुये कलेक्टर ने गलत आधारों पर पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की मांग की।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि भूमि सर्वे कमांक 648 पर निर्मित क्षेत्र 59X 47.2 वर्गफुट है जो वर्तमान में मोहल्ला दत्तपुरा मुरैना में स्थित है । तहसीलदार मुरैना से बसीयत के आधार पर आवेदकगण की नामांत्रण मांग को प्रकरण कमांक 8/01-02 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 29-11-01 से आधार पर निरस्त किया है कि :-

'' आवेदकगण का बसीयत के आधार पर नामांत्रण किया जाना धारा 110 म. प्र0.भू राजस्व संहिता 1959 के तहत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है पटवारी खसरे में पूर्व दर्ज भूमिस्वामियों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से अपना भाग नकदूराम बल्द पोहपराम जाति बैश्य निवासी मुरैना को 200/-रू. में रजिस्टर्ड रहननामा के द्वारा रहन रखी थी। ''

जबकि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 16-8-03 में इस प्रकार निष्कर्ष अंकित किया है :-

'' त्रिवणी वाई के पति द्वारा उक्त भवन जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21-12-1957 को कय किया था उनकी मृत्यु के वाद एंव पावर आफ एटोर्नी के आधार पर त्रिवेणीवाई ववादग्रस्त भवन रहनामा दिनांक 2-2-34 के आधार पर स्वामी एंव आधिपत्यधारी होने पर अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि में हितबद्ध होने का कोई प्रश्न ही पेदा नहीं होता है।

अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने कलेक्टर मुरैना से पुनरावलोकन अनुमति इस आधार पर मांगी है :-

'' तहसीलदार मुरैना के प्र.क. 39/99-2000 अ-6 पॅजीकृत होकर दिनांक 30-9-2000 को आदेश पारित कर प्रकरण निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अपील एस.डी.ओ.न्यायालय में प्रस्तुत की गई। एस.डी.ओ. न्यायालय मे प्रकरण कमांक 31/01-02 अ.मा. पर दर्ज की जाकर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त

संपत्ति का दानपत्र दिनांक 6-7-92 हो जाने के वाद भी दिनांक 16-9-03 नामान्तरण स्वीकार करते हुये आदेश पारित किया गया, जबकि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी को वर्ष 2003 में नामान्तरण स्वीकार करने की अधिकारिता नहीं थी। " कलेक्टर मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी के उक्त प्रस्ताव से सहमति होकर पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान करने में त्रृटि नहीं की है । जहां तक आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर दिये जाने का प्रश्न है ? अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदनगण को पक्ष समर्थन का अवसर प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव कलेक्टर जिला मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 2/2016-17 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 16-1-17 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर